


29/5/23

पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी था। वकील प्रार्थीगण
 ने एक प्रार्थना पत्र धारा (21.2) जरिये नोट पेस
 खारिज करने का निवेदन किया जिस पर वकील
 प्रार्थीगण को बुला गया। वकील प्रार्थीगण ने
 जाहिर किया कि पक्षाराम के मध्य आपसी
 राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र
 धारा (21.2) धार. सी. एम् नही चलाया जायेगा
 अतः उक्त प्रार्थना पत्र Not Fresh में खारिज किया
 जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा (21.2)
 सि. सि. धार. जरिये नोट पेस में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली केसल इकाई लेग फॉरिसम इफ्टर हो व नम्बर
 से कम हो।

Not Fresh


 सहायक कलेक्टर, सांचीर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

